POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2016/अंक 10

मासिक प्रेषण दि. 8 अक्टूबर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 अक्टूबर, 2016 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! खबर है कि प्रदेश में सरकारी विभागों द्वारा समय पर फैसला नहीं लेने से पिछले वित्त वर्ष में केन्द्रीय योजनाओं के लिए केन्द्र से मिले 244 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं हुए। खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा।

इस पैसे का उपयोग खेती के लिए सब्सिडी, नई सड़कें बनाने, पेयजल योजना, मजदूरों का बीमा व विशेष योग्यजनों के लिए सुविधाएं विकसित करने जैसे कामों में होना था। पैसा इस लिए खर्च नहीं हुआ क्योंकि अधिकारियों ने समय पर प्लानिंग ही नहीं की।

खबर यह भी है कि ऑडिट में भ्रष्टाचार का खुलासा होने के डर से प्रदेश के 88 सरकारी विभाग ऑडिट दलों को सात साल से सही जानकारी देने में आनाकानी कर रहे हैं। खास यह है कि मुख्य सचिव स्तर की आपत्ति के बावजूद उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं है। मीडिया में छपी सिर्फ यह दो खबरें ही नहीं सरकारी अफसरों व कर्मचारियों की लापरवाही और अनियमितताओं की ढेरों बानगियां गिनाई जा सकती है।

अच्छी खबर यह है कि केन्द्र सरकार अब आला अफसरों व बाबूओं की कार्य-कुशलता को लेकर सख्त होने जा रही है। अब अगर मीडिया में नकारात्मक खबरें आईं तो उनकी खैर नहीं।

इस सुधार के लिए केन्द्र सरकार स्वचालित व्यवस्था पर अमल करना चाहती है। व्यवस्था के तहत मीडिया में छपी खबरों की जिम्मेदारी अब उन्हें ही लेनी होगी और उन्हें तत्काल जवाब भी सरकार को देना होगा। संबंधित मंत्रियों को भी बताना होगा कि उन्होंने ऐसी खबरों पर क्या कार्रवाई की है।

प्रदेश की मुख्यमंत्री को भी आगे बढ़कर इस दिशा में पहल करनी चाहिए। क्योंकि कर्मचारियों की जवाबदेही नहीं होने से सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

ग्राहक की लापरवाही नहीं तो धोखाधड़ी में जिम्मेदारी बैंक की

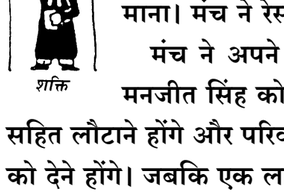

इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने कहा है कि यदि बैंक की लापरवाही सामने आई तो ऐसे मामलों में खाताधारक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन ग्राहक ने लापरवाही की है, तो फिर उसका जिम्मेदार भी वह खुद होगा। अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन में ग्राहक की जिम्मेदारी तय करने के लिए लाए जा रहे ग्राहक सुरक्षा प्रस्ताव के मसौदे में रिजर्व बैंक ने यह बात कही है। बैंक ने इस मसौदे पर सभी पक्षों से राय मांगी है।

मसौदे के अहम प्रावधान

- *खाता धारक की लापरवाही स्पष्ट नहीं तो जिम्मेदारी 5000 रु. तक सीमित रहेगी।*
- *ग्राहक को सात कार्य दिवस के भीतर बैंक को धोखाधड़ी की जानकारी देनी होगी।*
- *सूचना मिलने के बाद बैंक को 10 दिन में पैसे ग्राहक के खाते में डालने होंगे।*
- *बैंक को 90 दिन में समाधान करना होगा, ग्राहक को ब्याज का नुकसान न हो।*

मसौदे में कहा गया है कि बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन के मामले में अलर्ट के लिए ग्राहकों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत होने के लिए कहें।

ग्राहकों को भी सलाह दी गई है कि गैर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रान्जेक्शन में धोखाधड़ी होने पर इस संबंध में तुरंत बैंक को सूचित करें। बैंकों से ऐसी व्यवस्था बनाने को कहा गया है जिससे ग्राहक सातों दिन चौबीस घंटे बैंक को वेबसाइट, फोन बैंकिंग, एसएमएस या टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से सूचित कर सके।

रेस्टोरेंट को भारी पड़ा छपी कीमत से ज्यादा पैसा वसूलना

जयपुर स्थित शास्त्री नगर निवासी मनजीत सिंह ने उपभोक्ता मंच-तृतीय में परिवाद पेश कर बताया कि उसने नया खेड़ा, विद्याधर नगर स्थित स्पाइस एन करी रेस्टोरेंट से दो बीयर की बोतल 09 जून, 2011 को खरीदी थी। दोनों बोतल का अधिकतम खुदरा मूल्य 115 रुपए था। जबकि रेस्टोरेंट प्रबन्धन ने उससे 195 रुपए वसूले। जब उसने 80 रुपए ज्यादा वसूलने पर रेस्टोरेंट प्रबन्धन से पूछा तो ठीक से जवाब नहीं दिया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया।

मामले की सुनवाई पर मादक पेय पदार्थ पर छपी कीमत से 80 रुपए ज्यादा वसूलने को उपभोक्ता मंच-तृतीय ने गंभीर सेवादोष और अनुचित व्यापार व्यवहार माना। मंच ने रेस्टोरेंट प्रबन्धन पर एक लाख रुपए का दंडात्मक हर्जाना लगाया।

मंच ने अपने आदेश में कहा कि एक लाख रुपए के हर्जाने में से परिवादी मनजीत सिंह को 25 हजार रुपए देगा। साथ ही ज्यादा वसूले गए 80 रुपए ब्याज सहित लौटाने होंगे और परिवाद व्यय के पांच हजार रुपए भी अलग से परिवादी मनजीत सिंह को देने होंगे। जबकि एक लाख रुपए के हर्जाने में से शेष बचे 75 हजार रुपए राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने होंगे। यह भुगतान एक माह की अवधि में करना होगा।

बैंक जमाकर्ताओं को जागरूक व शिक्षित करना आवश्यक!

'कट्स' द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से संचालित बैंक उपभोक्ताओं को जागरूक एवं शिक्षित करने की योजना के तहत चित्तौड़गढ़ में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए जिला कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह ने जमाकर्ताओं को सुरक्षित जमा के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाताधारकों व स्वयं सहायता समूहों को जोड़ने की आवश्यकता जताई।

कार्यशाला में 'कट्स-कार्ट' जयपुर के डिप्टी हेड दीपक सक्सेना ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संसद में 2013 में दी गई जानकारी के अनुसार विभिन्न बैंकों में बिना दावों के खातों में जमा कुल राशि 3652 करोड़ रुपए है। इन खातों में 10 सालों से कोई लेन-देन नहीं हो रहा। दिशा ट्रस्ट जयपुर के चीफ काउंसलर मुनीष पी. कोठारी ने उद्देश्य प्राप्ति के लिए बैंको को भी अपने ग्राहकों को फायदे तथा जोखिम के बारे में जानकारी देने की सलाह दी।

कार्यक्रम में नाबार्ड डी.डी.एम. सचिन बाडेटिया, अग्रणी जिला प्रबंधक आर.पी. शर्मा व विभिन्न बैंकों के विषय विशेषज्ञों ने तकनीकी सत्रों का संचालन किया और जमाकर्ताओं के अधिकारों के बारे में बताया। कार्यक्रम के प्रारंभ में 'कट्स' मानव विकास केन्द्र, चित्तौड़गढ़ के समन्वयक गौहर महमूद ने सभी भागीदारों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन मदनगिरी गोस्वामी ने किया।

गोद लिए गांव जल्द बनेंगे वाई-फाई

प्रधानमंत्री कार्यालय ने सांसदों को आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए गांवों को समयसीमा में वाई-फाई करवाने की सलाह दी है। आदर्श गांवों को वाई-फाई करने के लिए बीएसएनएल ने 5 करोड़ रुपए सालाना शुल्क रखा है। इसमें सभी प्रकार के रख-रखाव शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यालय चाहता है कि सभी सांसद गोद लिए गांवों को वाई-फाई करने के लिए कदम उठाएं।

ज्यादातर सांसदों ने गांवों को वाई-फाई करने की तैयारी दर्शाई है। लेकिन उनका कहना है कि इसका खर्चा केन्द्र सरकार उठाए या बीएसएनएल नि:शुल्क में उपलब्ध कराए। प्रधानमंत्री मोदी की इस योजना के तहत सांसदों को 2016 तक गोद लिए गए गांवों को मॉडल विलेज के रूप में तैयार करना है।

करोड़ों के कृषि उत्पाद हर साल बर्बाद

देश में हर साल जितने रुपए की सब्जियां खराब होती हैं, उतने में तीन साल का कृषि बजट बनाया जा सकता है। केन्द्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार हर साल 92 हजार 651 करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद खराब हो जाते हैं। जब कि 2015-16 का कृषि बजट 35 हजार 984 करोड़ रुपए है। यह खराब कृषि उत्पादों की लागत से करीब तीन गुणा ज्यादा है।

चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने इस साल कृषि बजट में पिछले साल के मुकाबले 44 फीसदी की बढ़ोतरी की है। देश में फलों-सब्जियों और अनाज की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण भंडारण की कमी है। लगभग 60 फीसदी चीजें भंडारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण बर्बाद हो जाती है।

ग्रामसभाओं का नए सिरे से बनेगा रोडमैप

ग्रामसभाओं में खानापूर्ति के चलते योजनाओं के वास्तविक परिणाम हासिल नहीं हो पा रहे हैं। ग्रामसभाओं में इससे जरूरी प्रस्ताव समय पर स्वीकृत नहीं हो पाते। इससे उपलब्ध पैसा भी समय पर खर्च नहीं हो पाता। इसी वजह से पिछली साल 27 जिलों की 111 ग्राम पंचायतों में उपलब्ध राशि का एक रुपया भी खर्च नहीं हो पाया।

राज्य वित्त आयोग ने भी निधियों के समय पर उपयोग नहीं करने को गंभीर माना है। अब आयोग की सिफारिशों के बाद पंचायतीराज ग्रामसभाओं का नए सिरे से मजबूत रोडमैप बनाएगा। इसके अलावा खर्च व्यवस्था की ऑनलाइन निगरानी भी बढ़ाई जाएगी।

पंचायतीराज को मिलेगी मजबूती

राज्य सरकार द्वारा वित्त आयोग की सिफारिशें मंजूर करने के बाद अब पंचायतीराज संस्थाओं व स्थानीय निकायों को मंजूर राशि सीधे तौर पर खर्च करने की शक्तियां बढ़ गई हैं। इससे पंचायतीराज संस्थाओं को मजबूती मिलेगी। पंचायतीराज संस्थाओं को 75 फीसदी हिस्सा मिलेगा जो करीब 2 हजार 771 करोड़ रुपए है।

पैसे के समय पर जारी नहीं होने और खर्च प्रस्तावों पर मंजूरी में फाइल नहीं अटकेगी। पंचायतीराज संस्थाओं की आय में बढ़ोतरी होगी। खुद विभाग खर्च की मंजूरी देगा। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही प्राथमिकता तय करते हुए राशि खर्च की जा सकेगी।

गलती से पेंशन बंद तो दुबारा होगी शुरू

गलत तरीके से पेंशन बंद होने की शिकायतों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सेवक, पटवारी व वार्ड पंच की संयुक्त टीम इसकी जांच करेगी। शहरी क्षेत्रों में वार्ड पार्षद व नगर निकाय के अधिकारियों की टीम जांच करेगी। यदि गलत तरीके से पेंशन बंद हुई है तो गलत सूचना देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि यदि किसी की गलत तरीके से पेंशन बंद हुई है तो दुबारा शुरू की जाएगी। इसके लिए पेंशनर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए शिकायत दे सकता है। जितने महीने पेंशन बंद रही है उसका एरियर भी दिया जाएगा।

बहुत कम रह गए हैं खेजड़ी के पेड़

ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहे खेजड़ी के पेड़ों की संख्या प्रदेश में लगातार कम होती जा रही है। यह तो तब है जब राज्य सरकार ने खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित कर रखा है।

बावजूद इसके न तो वन विभाग की नर्सरियों में इसकी पौध तैयार हो रही है और न ही इनके संरक्षण के लिए विभागीय स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं। नतीजन राज्य की धरती पर बहुतायत में पाए जाने वाले पेड़ लगातार कम हो रहे हैं। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि खेजड़ी के पेड़ों का संरक्षण और संवर्धन नहीं होने से ऐसे हालात बन रहे हैं।

गोदामों में सड़ता अनाज

देश का किसान कितनी मेहनत कर अनाज पैदा करता है। उसमें से सरकार द्वारा निर्धारित दर पर अनाज खरीद कर सरकारी गोदामों में भरा जाता है। यहां से राशन की दुकानों के जरिए यह अनाज कम आय वर्ग के लोगों में बांटा जाता है।

पिछले दिनों आरटीआई के तहत मांगी गई एक सूचना से सामने आया कि बीते पांच सालों के दौरान पांच लाख क्विंटल से ज्यादा गेहूं और चावल भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में सड़ गया।

यह कैसी विडंबना है कि एक ओर देश महंगाई से जूझ रहा है। खाने-पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। दूसरी ओर अनाज गोदामों में सड़ जाता है। सरकारें मूक बनी रहती हैं। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तक नहीं होती?

- अवध बिहारी शर्मा, जयपुर

खुले मसाले बेचे तो अब खैर नहीं

मसालों में मिलावट कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले व्यापारियों की अब खैर नहीं। अब राजस्थान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खुले मसाले बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके लिए चिकित्सा विभाग ने प्रदेश स्तर पर तैयारी कर ली है। कानून में खुले मसाले बेचने पर प्रतिबंध है। चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने पिछले दिनों खुले मसाले बेचने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसके बाद विभाग ने कार्ययोजना बनाई है। मसालों की जांच के लिए नमूने भी लिए जाएंगे। टारगेट से कम निरीक्षण व जांच नमूने लेने पर अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

किसान देंगे जैविक खेती का प्रशिक्षण

सीकर के किसान राजस्थान सहित देशभर के किसानों को जैविक खेती के तरीके सिखाएंगे। किसानों के द्वारा अपनाई गई जैविक खेती के तरीके कारगर साबित होने के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसके लिए जैविक खेती में अग्रणी किसानों के खेतों में प्रशिक्षण पाठशालाएं खोली जाएंगी। इसके लिए कृषि व उद्यान विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।

योजना के मुताबिक प्रशिक्षण पाठशालाएं उन्हीं किसानों के खेतों में खोली जाएगी, जिन खेतों में किसान पांच साल से बड़े स्तर पर जैविक खेती कर रहे हैं। पाठशालाओं में खुद किसान प्रशिक्षण देंगे। पाठशालाओं में विभाग द्वारा फलदार, सब्जी, व सामान्य खेती के तरीके सिखाए जाएंगे।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

आप उपभोक्ता सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी अथवा शिकायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र
कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)
डी-218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
ई-मेल: gsk@cuts.org फोन +091.141.4015395

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर